न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 20/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00053

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. वजाराम पुत्र केसाराम 2. गैरकी पत्नी केसाराम जाति लुहार, निवासीगण वीरमपुरा माताजी तहसील देसूरी जिला पाली		1. छोगाराम पुत्र केसाजी, जाति निवासी दाता मारबल के सामने वाली गली, विजयनगर कॉलोनी खालसा पेट्रोल पम्प के सामने, फालना तहसील बाली जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत ढालोप जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढालोप तहसील देसूरी जिला पाली 3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से श्याम जी पंचारिया उपस्थित

अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/2/21

यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज. अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.07.1980 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.07.1980 तथा उनकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.10.1980 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत ढालोप से रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस निगरानी में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण के पिता व पति केसाराम पुत्र जेठाजी का पुराना आवासीय मकान वीरमपुरा माताजी की आबादी भूमि में स्थित है। जिसे हड़पने की नीयत से अप्रार्थी 1 द्वारा सरपंच से मिलावट कर जैर निगरानी पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.10.1980 जो पंचायत की मिसल संख्या 92/1980–81 के पारित आदेश दिनांक 16.10.1980 एवं प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.7.1980 की उसकी पालना में उक्त पट्टा जारी करवा दिया है जो निरस्त योग्य है। उक्त जैर निगरानी मकान पुश्तैनी होने से प्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 जो दोनों सगे भाई है उनका दोनों का है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत से मिलकर मिलीभगत से यह पट्टा जारी कराया है जो काबिल निरस्त है। प्रार्थी के पास उक्त मकान के कब्जा एवं स्वामित्व के कोई दस्तावेज नहीं है। फिर भी जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कब्जा कितने वर्षो से है यह अंकित नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 258 के तहत 3 वार्ड पंचों की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है सभी कार्यवाही एक ही दिवस में एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है समस्त कार्यवाही संदिग्ध एवं मिलावटी है आपतियां आमंत्रित करने का नोटिस नियम 260 के अन्तर्गत जारी किया वह कहां चस्पा किया गया कब चस्पा किया गया न तो मकान पर किया जाना बताया है न ही आम चौराहों पर फिर भी पट्टा जारी कर दिया इस प्रकार नियम 254 से लेकर 260 तक की पालना नहीं की गई है। गवाहों के बयान बनावटी व मिथ्या है। प्रार्थी की उम्र [illegible] वर्ष ही थी ऐसी स्थिति में मकान उसका नहीं होकर पिता का बनाया हुआ है पुश्तैनी होने से उसके नाम का पट्टा जारी नहीं हो सकता है। उक्त मकान हड़पने की नियत से यह कार्यवाही की गई एवं पट्टा जारी कराया गया है। पट्टा में ग्राम पंचायत ने स्वयं अंकित किया है कि प्रार्थी का स्कूल व पैसगा निर्माण में सहयोग कर सहायता की है इसके कारण हमदर्दी रखते हुए पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है।

Ansh

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:50:53 IST
Reason: SelfAttested

मात्र शुक्राना शुल्क 25/– रूपये लिए जाकर पट्टा अन्तर्गत नियम 266 जारी किया गया जो निरस्त योग्य है प्रार्थी संख्या 1 वीरमपुर माताजी में नहीं रहता है वह फालना रहता है विरमपुरा में कभी नहीं रहा फिर भी पट्टा जारी करा दिया जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा 1980 में जारी किया गया जिसकी निगरानी 38 वर्षों बाद पेश की गई हालांकि निगरानी में म्याद का प्रश्न नहीं है फिर भी 38 वर्षों बाद बिना हेतुक के यह निगरानी पेश किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं।

प्रार्थीगण का उक्त मकान में कतई कब्जा व रहवास नहीं है। न ही यह मकान ही प्रार्थीगण का है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपने रहने के मकान हेतु उक्त जैर निगरानी भूखण्ड राज. पंचायती राज नियमों 266 के तहत आपसी बातचीत से क्रय की है जो जरिये रसीद संख्या 03/25.09.1980 के राशि 23/– रूपये अदाकर यह पट्टा बनवाया गया है। तथा मिसल में दर्ज आदेशिका अनुसार प्रस्ताव लेकर विक्रय किया है। जो विधिवत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं उक्त जैर निगरानी क्रय सुदा भूखण्ड पर मकान बनवाया है ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर नियमानुसार पट्टा जारी कराया है जो विधिसम्मत है। पत्रावली की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि एक माह का आपति इश्तिहार जारी किया गया था। मौका रिपोर्ट बनाई गई, नक्शा बनाया गया तथा गवाहों के बयान लिए जाकर विक्रय विलेख जारी किया गया जो विधिसम्मत होने से यथावत रखा जावे। भीकाराम पुत्र किशनाजी के प्रार्थी वजाराम अपने पिता केसाराम के जीवन काल में ही गोद चला गया था फिर भी उसके मकान हड़पने की नियत से यह निगरानी पेश की है जो काबिल खारिज योग्य है जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी द्वारा पुश्तैनी होने के आधार पर जारी नहीं कराया है बातचीत से कीमत तय कर लिया है जो विधी सम्मत है। पट्टा संख्या 48 जो छोगाराम के पक्ष में जारी किया है उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी विधिनुरूप प्रक्रिया पालन करते हुए विधक प्रक्रियानुसार जारी कराया है जिसे यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव ग्राम पंचायत ढालोप द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 26.06.1980 के विरूद्ध पेश की है जो पारित प्रस्ताव के 38 वर्षों पश्चात पेश की गई है हालांकि निगरानी के लिए पंचायत अधिनियम में म्याद का प्रश्न नही है फिर भी एक युक्तीयुक्त समय के पश्चात यह निगरानी पेश की गई है जो अत्यधिक देरिना प्रस्तुत किए जाना न्यायोचित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा आराजी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 266 की पालना में आपसी बातचीत के जरिये क्रय की गई है पुश्तैनी आधार पर विक्रय विलेख प्राप्त नहीं किया गया है। प्रस्ताव पारित किए जाकर फिर आदेशिका लिखी जाकर पालना में पट्टा जारी किया है जो विधिसम्मत है। मूल विवाद प्रकरण में उक्त मकान के मालिकाना हक को लेकर प्रतीत होता है जो धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत हल नहीं किया जा सकता है इसके लिए प्रार्थीगण सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकता है अगर पंचायत की कार्यवाही में प्रक्रियात्मक त्रुटी है तो यह त्रुटी ग्राम पंचायत की है इससे किसी पट्टेधारी को अविधिक नहीं ठहराया जा सकता है अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 266 के अनुसरण में जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................3

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.07.1980 मिसल संख्या 92/1980–81 में पारित आज्ञा दिनांक 10.07.1980 की पालना में जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.10.1980 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:30:53 IST
Reason: SelfAttested